

कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्रा।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं०-.....115...../ 2016-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
<p style="color: blue; font-size: 1.2em; transform: rotate(-45deg); position: absolute; top: 10px; left: 10px;">13.10.2020</p>	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक:-09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा <u>समुदा</u> थाना नं० <u>27</u> खाता नं०.....<u>36</u>.....खेसरा नं० <u>983</u> रकबा.....<u>1.50</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या.....के पृष्ठ संख्या.....पर जमाबंदी रैयत <u>किशुवा</u> <u>मुण्डा</u> पिता/पति.....के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख दिनांक <u>20/10/2020</u> को रखें।</p> <p>लेखपति एवं संशोधित अंचल अधिकारी कर्रा।</p>	<p style="text-align: center;">अंचल अधिकारी कर्रा।</p>

आदेश का क्रमांक, तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
21-10-2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो अभिलेख में संलग्न है। जमाबंदी रैयत किसुवा मुण्डा के पक्ष में एतवा मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँचोपरांत (चेकलिस्ट) में प्रतिवेदन प्राप्त है, जो बिन्दुवार निम्नवत है:-</p> <p>खतियान की स्थिति:- मौजा समुन्दर, थाना नं0 27 के सर्वे खतियान में खाता सं0 36 गैरमजुरुआ खास किस्म परती कदीम दर्ज है।</p> <p>पंजी ii की स्थिति :- मांग पंजी ii भाग सं0 1 पृष्ठ सं0 102 में दर्ज जमाबंदी रैयत किसुवा मुण्डा के नाम से खाता सं0 36 प्लॉट सं0 383 रकबा 1.00 एकड़ भूमि का प्राधिकार कॉलम में आधार दर्ज नहीं है, मांग पंजी 2 में लगान की प्रवृष्टि नहीं की गई है।</p> <p>भूमि का वर्तमान स्वरूप:- खाली परती है।</p> <p>दखल कब्जा की स्थिति:- जमाबंदी रैयत व वंशजों का उक्त खाता नं0 36 प्लॉट सं0 383 रकबा 1.00 एकड़ भूमि पर दखल कब्जा नहीं है।</p> <p>स्थल जाँच:- जमाबंदी रैयत मौजा समुन्दर में नहीं रहते हैं। तथा खाता नं0 36 प्लॉट सं0 383 रकबा 1.00 एकड़ भूमि पर दखल नहीं पाया गया। जमाबंदी रैयत के पक्ष में एतवा मुण्डा उपस्थिति।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आवलोकन से ज्ञात होता है कि जमाबंदी रैयत मौजा समुन्दर में नहीं रहते हैं। प्रतिवेदनानुसार पंजी ii के भाग सं0 1 पृष्ठ सं0 120 में दर्ज खाता सं0 36 प्लॉट सं0 383 रकबा 1.00 एकड़ भूमि का साक्ष्य के रूप में अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अनुशंसा के आधार पर प्रश्नगत भूमि मौजा समुन्दर थाना नं0 27, खाता सं0 36 प्लॉट सं0 383 रकबा 1.00 एकड़ भूमि को उक्त कारणों के आधार पर अवैध जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी करा।</p> <p>अंचल अधिकारी करा।</p>	